

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064, 2743331  
वेबसाइट:Website: www.surveyofindia.gov.in  
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064  
ई-मेल:E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय  
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA  
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।  
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी- 7572 / 1354(सहायक / एच.सी.)

दिनांक: 31 -12- 2022

सेवा में,

**अपर महासर्वेक्षक:** विशिष्ट क्षेत्र/एन०आई०जी०एस०टी०/उत्तरी क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र ।

**निदेशक:** भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सूदूर संवेदन निदेशालय/ उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जी०डी०सी०/झारखण्ड जी०डी०सी०/राष्ट्रीय जी०डी०सी०/आन्ध्र प्रदेश तेलंगाना जी०डी०सी०(वि० विंग)/सर्वेक्षण (हवाई) एवं दिल्ली जी०डी०सी०/दक्षिणी मुद्रण वर्ग/ बिहार जी०डी०सी०/ मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी०डी०सी०/पूर्वी मुद्रण वर्ग ।

**विषय:** सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी०पी०सी०-2023)।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायकके पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पत्रता की अवधि
1.	Shri Nar Bahadur	GIS & RS, Hyderabad	GIS & RS, Hyderabad	01-01-2023
2.	Shri Shaik Badulla	NIGST, Hyderabad	NIGST, Hyderabad	01-01-2023
3.	Smt. Sonia Mall	UK & West UPGDC, Dehra Dun	UK & West UPGDC, Dehra Dun	01-01-2023
4.	Shri Faiz Ahmed	Jharkhand GDC, Ranchi	Jharkhand GDC, Ranchi	01-01-2023
5.	Km. Kanta Semwal	National GDC, Dehra Dun	National GDC, Dehra Dun	01-01-2023
6.	Shri R.Srinivasa Rao	AP& T GDC , (V Wing)	AP& T GDC , (V Wing)	01-01-2023
7.	Shri Kapil Rana	S (A) & D GDC, New Delhi	S (A) & D GDC, New Delhi	01-01-2023
8.	Smt. Susmita Dev	Southern Printing Group, Hyderabad	Southern Printing Group, Hyderabad	01-01-2023
9.	Shri Sasanka Saha (OBC)	Eastern Zone, Kolkata	Eastern Zone, Kolkata	01-01-2023
10.	Smt Rupavatharam Vasantha	NIGST, Hyderabad	NIGST, Hyderabad	01-01-2023
11.	Shri Shiv Prakash (OBC)	Bihar GDC, Patana	Bihar GDC, Patana	01-01-2023
12.	Shri Amit Kumar (SC) (PH)	MA& DC, Dehra Dun	MA& DC, Dehra Dun	01-01-2023
13.	Shri B.Babu Rao (SC)	Southern Printing Group, Hyderabad	Southern Printing Group, Hyderabad	01-01-2023
14.	Joyee G. Sohsten (ST)	Megh. & AP GDC, Shillong	Megh. & AP GDC, Shillong	01-01-2023
15.	Shri Siddhartha Sankar Sabui (SC)	Eastern Printing Group, Kolkata	Eastern Printing Group, Kolkata	01-01-2023

2. उपरोक्त पदोन्नति उनकी पात्रता की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी तथा इस आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए। पदोन्नति की तारीख अथवा पदोन्नति की अस्वीकृति की तारीख, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 10-01-2023 तक अवश्य सूचित करें।

3. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/86-स्था0 (डी0) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों **“no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such cases for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is later.”** के अनुसार पदोन्नति से वंचित करते हुए उनसे कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा


4. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा तथा यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी को एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत एफ0आर0 22(1)(क)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार करें ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा

6. यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

7- *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

8. पदोन्नत कर्मचारियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।

  
21/12/2022  
(प्रशान्त कुमार)  
उप महासर्वेक्षक  
कृते भारत के महासर्वेक्षक

**प्रतिलिपि:**

1. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
2. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर/हैदराबाद/कोलकाता ।
3. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
4. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
5. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
6. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
7. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

## UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of **the SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.**

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

## COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

### वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13.08.2014 पर मंत्रालय से प्राप्त होने वाले निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद **SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter** के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064, 2743331  
वेबसाइट:Website: www.surveyofindia.gov.in  
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064  
ई-मेल:E-Mail: sgo.conf soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय  
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA  
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।  
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी-6049 / 1354(सहायक/एच.सी.)

दिनांक: 12 सितम्बर, 2022

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: दक्षिणी क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र ।

निदेशक: आन्ध्र प्रदेश जी०डी०सी०/विहार जी०डी०सी०/दक्षिण मुद्रण वर्ग/पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी०डी०सी०/पूर्वी उत्तर प्रदेश जी०डी०सी०/ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा ।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी०पी०सी०-2022) ।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri P. Chandramohan	AP & T GDC	SPG
2.	Smt. Hina Kumari	Bihar GDC	Bihar GDC
3.	Shri N.Devaraju	SPG	AP & T GDC
4.	Shri Manoj Mondal (SC)	WB & Sikkim GDC	WB & Sikkim GDC
5.	Shri Chander Shekhar (SC)	East UP GDC	East UP GDC
6.	Shri Dara Singh (SC)	G&RB	G&RB

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।


3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 11-10-2022 तक अवश्य सूचित करें ।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

Contd....2/-

6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22(1)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा । यदि इस पदोन्नति से पूर्व संबंधित कर्मचारियों को एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया गया हो तो वेतन निर्धारण निर्धारित नियमों के अंतर्गत किया जाये ।
8. उपरोक्त पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने अथवा नहीं देने के सम्बन्ध में कार्रवाई इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह 11) दिनांक 13-08-2014 के अन्तर्गत मंत्रालय से वांछित निर्णय प्राप्त होने के अनुसार की जायेगी ।
9. ***The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.***
10. पदोन्नत सभी अर्थार्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।

  
(डा0 यू0एन0 मिश्र)  
उप महासर्वेक्षक  
कृते भारत के महासर्वेक्षक

**प्रतिलिपि:**

1. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
2. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद/कोलकाता ।
3. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
4. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
5. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
6. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

## UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of ***the SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.***

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

## COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

### वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13.08.2014 पर मंत्रालय से प्राप्त होने वाले निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद ***SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter*** के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:


दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064, 2743331  
वेबसाइट:Website: www.surveyofindia.gov.in  
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064  
ई-मेल:E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय  
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA  
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।  
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी- 4523 / 1354-सहायक/एच.सी.

दिनांक: 18 अगस्त 2022  
22

सेवा में,

निदेशक,  
आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी०डी०सी०,  
हैदराबाद ।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी०पी०सी०.2021)।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिक को सहायक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	टिप्पणी
1.	Shri B. Nagarathnam	AP&T GDC, Hyderabad	AP&T GDC, Hyderabad	As per recommendation of DPC-2021 the assessment in r/o Shri B. Nagarathnam was placed in Sealed Cover. Now after his exoneration from the chages the Director AP&T GDC has issued order vide letter No.CS-72/4-A(BNR)/AP&TGDC dated 31th March, 2022 and CS-106/4-A(BNR)/AP&TGDC dated 04-05-2022, the sealed cover has been opened and the officer is being offerd promotion. His pay will be fixed Notionaly from 03-02-2022 i.e. the date of joining of Shri Mukesh Kumar(SC) who was at Sl. 67 in seniority list of UDC for the year.2021, next junior to him. The actual benifites will be given from the date of his joining as Assistant.

3 उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

4. उपरोक्त कर्मचारी से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 17-09-2022 तक अवश्य सूचित करें ।

Contd....2/-

5. उपरोक्त कर्मचारी को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।
6. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।
7. यदि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
8. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर० 22(1)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा । यदि इस पदोन्नति से पूर्व संबंधित कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया गया हो तो वेतन निर्धारण निर्धारित नियमों के अंतर्गत किया जाये ।
9. उपरोक्त पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने अथवा नहीं देने के सम्बन्ध में कार्रवाई इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर०(संग्रह 11) दिनांक 13-08-2014 के अन्तर्गत मंत्रालय से वांछित निर्णय प्राप्त होने के अनुसार की जायेगी ।
10. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*
11. पदोन्नत अभ्यर्थी से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।



(डा० यू०एन० मिश्र)  
उप महासर्वेक्षक  
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. अपर महासर्वेक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, बेंगलूरु को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदरबाद ।
3. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे०सी०एम० अनुभाग (म०स०का०) ।
4. गोपनीय सहायक (म०स०का०) ।
5. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
6. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।



## UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of ***the SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.***

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

## COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

### वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13.08.2014 पर मंत्रालय से प्राप्त होने वाले निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद ***SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter*** के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित



सं०सी-3668 / 1354(सहायक/एच.सी.)

दिनांक: 30 जून, 2022

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: दक्षिणी क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र ।

निदेशक: पूर्वी उत्तर प्रदेश, जी०डी०सी०, लखनऊ ।

**विषय:** सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी०पी०सी०-2022) ।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पात्रता की तिथि
1.	Shri B. Sreedevan	Southern Zone Bangalore	Southern Zone Bangalore	01-07-2022
2.	Shri Brajendra Singh (OBC)	East UP GDC Lucknow	East UP GDC Lucknow	01-07-2022

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 31-07-2022 तक अवश्य सूचित करें ।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।



सं०सी-2686/1354(सहायक/एच.सी.)

दिनांक: 4 मई, 2022

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र ।

निदेशक: झारखण्ड जी०डी०सी०/पूर्वी उत्तर प्रदेश, जी०डी०सी०/पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी०डी०सी० ।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी०पी०सी०-2022)।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायकके पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri Shivanand Jha	Jharkhand GDC, Ranchi	Jharkhand GDC, Ranchi
2.	Shri Ashish Kumar Kashyap	East UP GDC, Lucknow	East UP GDC, Lucknow
3.	Shri Tapas Mitra (OBC)	WB & Sikkim GDC, Kolkata	WB & Sikkim GDC, Kolkata
4.	Shri Shashank Kumar Singh	East UP GDC, Lucknow	East UP GDC, Lucknow

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 03-06-2022 तक अवश्य सूचित करें ।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर० 22(1)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा । यदि इस पदोन्नति से पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया गया हो तो वेतन का निर्धारण निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जाये ।

Contd....2/-

8. उपरोक्त पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने अथवा नहीं देने के सम्बन्ध में कार्रवाई इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह 11) दिनांक 13-08-2014 के अन्तर्गत मंत्रालय से वांछित निर्णय प्राप्त होने के अनुसार की जायेगी ।

9. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

10. पदोन्नत सभी अर्थार्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।



(डा० यू०एन० मिश्र)  
उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
2. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता ।
3. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे०सी०एम० अनुभाग (म०स०का०) ।
4. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
5. गोपनीय सहायक (म०स०का०) ।
6. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
7. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

## UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of **the SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.**

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

## COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

### वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13.08.2014 पर मंत्रालय से प्राप्त होने वाले निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद **SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter** के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:


दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित



## भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स: Telefax: +91-135-2744064, 2743331  
वेबसाइट: Website: www.surveyofindia.gov.in  
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064  
ई-मेल: E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय  
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA  
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।  
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी-2554/1354(सहायक/एच.सी.)

दिनांक: 26 अप्रैल, 2022

सेवा में,

**अपर महासर्वेक्षक:** उत्तरी क्षेत्र/एन०आई०जी०एस०टी०/विशिष्ट क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र।

**निदेशक:** पूर्वी उत्तर प्रदेश, जी०डी०सी०/मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/बिहार जी०डी०सी०/भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सूदूर संवेदन निदेशालय/पंजाब हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी०डी०सी०/झारखण्ड जी०डी०सी०/छत्तीसगढ़ जी०डी०सी०।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन' (म०स०का०)।

**विषय:** सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी०पी०सी०-2022)।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पात्रता की अवधि
1.	Shri Naveen Kumar (OBC)	East UP GDC, Lucknow	East UP GDC, Lucknow	--
2.	Shri S.Sreenivasulu (OBC)	NIGST, Hyderabad	GIS & RS, Hyderabad	--
3.	Shri Suriseti Rama Appa Rao	NIGST, Hyderabad	GIS & RS, Hyderabad	--
4.	Shri Vipul Sharma	MA&DC, Dehra Dun	MA&DC, Dehra Dun	--
5.	Shri Sujindra Kumar Singh	Bihar GDC, Patna	Bihar GDC, Patna	--
6.	Shri Manoj Bisht	SGO, Dehra Dun	SGO, Dehra Dun	--
7.	Shri Dhiraj Kumar Srivastava	East UP GDC, Lucknow	East UP GDC, Lucknow	--
8.	Shri Gara Prem Kumar	GIS & RS, Hyderabad	GIS & RS, Hyderabad	--
9.	Shri Kuldeep Kumar	Pb, Har & Chd. GDC, Chandigarh	Pb, Har & Chd. GDC, Chandigarh	--
10.	Shri Gaurav Kumar	MA&DC, Dehra Dun	MA&DC, Dehra Dun	--
11.	Shri Gopal Ravidas (SC)	Jharkhand GDC, Ranchi	Jharkhand GDC, Ranchi	--
12.	Shri Darshan Lal (SC)	SGO, Dehra Dun	SGO, Dehra Dun	--
13.	Shri R.T. Kumbhalwar (SC)	Chh.GDC, Raipur	Chh.GDC, Raipur	--

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं। पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 25-05-2022 तक अवश्य सूचित करें।

Contd....2/-

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।
6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर० 22(1)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा । यदि इस पदोन्नति से पूर्व सम्बन्धित कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया गया हो तो वेतन निर्धारण निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जाये ।
8. उपरोक्त पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने अथवा नहीं देने के सम्बन्ध में कार्रवाई इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर०(संग्रह 11) दिनांक 13-08-2014 के अन्तर्गत मंत्रालय से वांछित निर्णय प्राप्त होने के अनुसार की जायेगी ।
9. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*
10. पदोन्नत सभी अर्थार्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।



(डा० यू०एन० मिश्र)  
उप महासर्वेक्षक  
कृते भारत के महासर्वेक्षक

**प्रतिलिपि:**

1. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
2. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर/हैदराबाद/कोलकाता ।
3. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे०सी०एम० अनुभाग (म०स०का०) ।
4. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
5. गोपनीय सहायक (म०स०का०) ।
6. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
7. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

## UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of ***the SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.***

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

## COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

### वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13.08. 2014 पर मंत्रालय से प्राप्त होने वाले निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद ***SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter*** के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:


हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित





सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064, 2743331

वेबसाईट:Website: www.surveyofindia.gov.in

Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064

ई-मेल: E-Mail: [sgo.conf soi@gov.in](mailto:sgo.conf soi@gov.in)

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय  
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA  
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।  
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी-1998 / 1354-सहायक/एच.सी.

दिनांक: 30 मार्च 2022

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक, दक्षिणी क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र।

निदेशक, तमिलनाडू पांडिचेरी एवं अन्डमान निकोबार द्वीप समूह जी०डी०सी०/दक्षिण मुद्रण वर्ग/पंजाब हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी०डी०सी०/मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी०डी०सी०।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी(प्रशासन)(म०स०का०)।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी०पी०सी०.2021)।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र संख्या सी-1968/1354-Assistant/HC दिनांक 30-03-2022

संदर्भित पत्र के अन्तर्गत जारी पदोन्नति आदेश के कम संख्या (3) के कॉलम "वर्तमान तैनाती व नई तैनाती" में उल्लेखित "Pb, Hr. & Chd. GDC, Chandigarh" के स्थान पर "Northern Zone, Chandigarh" पढ़ा जाये।

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।


(डा० यू०एन० मिश्र)

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. अपर महासर्वेक्षक, तकनीकी, म०स०का०/पूर्वी क्षेत्र।
2. उप महासर्वेक्षक: सतर्कता, म०स०का०/प्रशासन, म०स०का०/एच०आर०, म०स०का०/तकनीकी, म०स०का०/पूर्वी क्षेत्र।
3. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
4. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदरबाद/जयपुर।
5. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे०सी०एम० अनुभाग (म०स०का०)।
6. गोपनीय सहायक (म०स०का०)।
7. इंचार्ज, वेब एडमिन।
8. इंचार्ज, ई-ऑफिस।



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स: Telefax: +91-135-2744064, 2743331

वेबसाइट: Website: www.surveyofindia.gov.in

Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064

ई-मेल: E-Mail: sgo.conf soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय  
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA  
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।  
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी-1968 / 1354-सहायक / एच.सी.

दिनांक: 30 मार्च 2022

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक, दक्षिणी क्षेत्र / मुद्रण क्षेत्र / उत्तरी क्षेत्र / विशिष्ट क्षेत्र।

निदेशक, तमिलनाडू पांडिचेरी एवं अन्डमान निकोबार द्वीप समूह जी०डी०सी० / दक्षिण मुद्रण वर्ग / पंजाब हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी०डी०सी० / मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र / आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी०डी०सी०।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी (प्रशासन) (म०स०का०)।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी०पी०सी०.2021)।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण / तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Smt.S.Junidha Begum(OBC)	TN & Py & ANI GDC, Chennai	TN & Py & ANI GDC, Chennai
2.	Shri P.Srinivasulu	SPG, Hyderabad	SPG, Hyderabad
3.	Shri Mahaveer Prasad Mandal (OBC)	Pb, Hr. & Chd. GDC, Chandigarh	Pb, Hr. & Chd. GDC, Chandigarh
4.	Shri Dayanand Kumar (OBC)	SGO, Dehra dun	SGO, Dehra dun
5.	Shri Pushpendra Singh	MADC, Dehra dun	MADC, Dehra dun
6.	Shri G.Sekhar (SC)	AP GDC, Hyderabad	AP GDC, Hyderabad

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं। पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 08-04-2022 तक अवश्य सूचित करें।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा।

5. अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति / जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

Contd....2/-

6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं।
7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22(1)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा। यदि इस पदोन्नति से पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी को एमएसीपी का लाभ प्रदान किया गया हो तो वेतन निर्धारण निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जाये।
8. उपरोक्त पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने अथवा नहीं देने के सम्बन्ध में कार्रवाई इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह 11) दिनांक 13-08-2014 के अन्तर्गत मंत्रालय से वांछित निर्णय प्राप्त होने के अनुसार की जायेगी।
9. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SPL (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*
10. पदोन्नत सभी अर्थार्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें।

Signed by U.n.mishra

Date: 29-03-2020 16:13:15

Reason: Approval

कृते भारत के महासर्वेक्षक

## प्रतिलिपि:

1. अपर महासर्वेक्षक, तकनीकी, म0स0का0/पूर्वी क्षेत्र।
2. उप महासर्वेक्षक: सतर्कता, म0स0का0/प्रशासन, म0स0का0/एच0आर0, म0स0का0/तकनीकी, म0स0का0/पूर्वी क्षेत्र।
3. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
4. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदरबाद/जयपुर।
5. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0)।
6. गोपनीय सहायक (म0स0का0)।
7. इंचार्ज, वेब एडमिन।
8. इंचार्ज, ई-ऑफिस।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SPL (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13-08-2014 पर मंत्रालय से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SPL (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:


दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स: Telefax: +91-135-2744064, 2743331  
वेबसाइट: Website: www.surveyofindia.gov.in  
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064  
ई-मेल: E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय  
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA  
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।  
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी-616 / 1354-सहायक/एच.सी.

दिनांक: 03/02/2022

सेवा में,

निदेशक, बिहार भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, पटना।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन' (म०स०का०)।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी०पी०सी०.2021)।


निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri Dhiraj Kumar (PH) (OBC)	Bihar GDC	Bihar GDC
2.	Shri Mukesh Kumar(SC)	SGO	SGO

- उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए।
- उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं। पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 01-03-2022 तक अवश्य सूचित करें।
- उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

Contd....2/-

6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22(1)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।
8. उपरोक्त पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने अथवा नहीं देने के सम्बन्ध में कार्रवाई इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह 11) दिनांक 13-08-2014 के अन्तर्गत मंत्रालय से वांछित निर्णय प्राप्त होने के अनुसार की जायेगी ।
9. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*
10. पदोन्नत सभी अर्थव्यर्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।

  
(डा0 यू0एन0 मिश्रा)  
उप महासर्वेक्षक  
कृते भारत के महासर्वेक्षक

**प्रतिलिपि:**

1. अपर महासर्वेक्षक, तकनीकी, म0स0का0/पूर्वी क्षेत्र ।
2. उप महासर्वेक्षक: सतर्कता, म0स0का0/प्रशासन, म0स0का0/एच0आर0, म0स0का0/तकनीकी, म0स0का0/पूर्वी क्षेत्र
3. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
4. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता ।
5. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
6. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
7. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
8. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
9. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूँगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13-08-2014 पर मंत्रालय से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का पालन करूँगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय का पालन करूँगा ।


स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स: Telefax: +91-135-2744064, 2743331  
वेबसाइट: Website: www.surveyofindia.gov.in  
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064  
ई-मेल: E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय  
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA  
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।  
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी- 318 / 1354(सहायक/एच.सी.)

दिनांक: 21 जनवरी 2022  
24

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: उत्तरी क्षेत्र/ मुद्रण क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/एन०आई०जी०एस०टी०/ पूर्वी क्षेत्र ।

निदेशक: हिमाचल प्रदेश जी०डी०सी०/ डी.एम.पी. /तमिलनाडू पांडिचेजरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह/आसाम एवं नागालैंड जी०डी०सी० ।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन' (म०स०का०) ।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी०पी०सी०.2021)।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायकके पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Smt Harshi	21/06/68	HPGDC	HPGDC
2.	Km. Geeta Bisht	19/09/81	NPG	G&RB
3.	Shri Prabhat Kumar (OBC)	22/11/82	SGO	SGO
4.	Shri Anupam Kumar Singh	01/03/86	TN & Py & ANI GDC	TN & Py & ANI GDC
5.	Shri D. Sridhar	22/08/72	NIGST	SPG
6.	Smt. Mitali Malakar (SC)	01/04/77	A&N GDC	A&N GDC
7.	Shri Alam Singh (SC)	27/06/69	HP GDC	HP GDC

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 23-02-2022 तक अवश्य सूचित करें ।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

Contd....2/-



6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22(1)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।
8. उपरोक्त पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने अथवा नहीं देने के सम्बन्ध में कार्रवाई इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह 11) दिनांक 13-08-2014 के अन्तर्गत मंत्रालय से वांछित निर्णय प्राप्त होने के अनुसार की जायेगी ।
9. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*
10. पदोन्नत सभी अर्थार्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।



(डा0 यू0एन0 मिश्र)  
उप महासर्वेक्षक  
कृते भारत के महासर्वेक्षक

**प्रतिलिपि:**

1. अपर महासर्वेक्षक, तकनीकी, म0स0का0 ।
2. उप महासर्वेक्षक: सतर्कता, म0स0का0/प्रशासन, म0स0का0/एच0आर0, म0स0का0/तकनीकी, म0स0का0/ उत्तरी क्षेत्र/ मुद्रण क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/एन0आई0जी0एस0टी0/ पूर्वी क्षेत्र ।
3. निदेशक, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा/दक्षिण मुद्रण वर्ग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
5. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर/हैदराबाद/कोलकाता ।
6. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
7. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
8. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
9. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
10. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

## UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

## COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

### वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13-08-2014 पर मंत्रालय से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय का पालन करूंगा ।


स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स: Telefax: +91-135-2744064, 2743331  
वेबसाइट: Website: www.surveyofindia.gov.in  
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064  
ई-मेल: E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय  
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA  
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।  
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी- 318 / 1354(सहायक/एच.सी.)

दिनांक: 21 जनवरी 2021  
24

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: उत्तरी क्षेत्र/ मुद्रण क्षेत्र/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/ एन०आई०जी०एस०टी०/ पूर्वी क्षेत्र ।

निदेशक: हिमाचल प्रदेश जी०डी०सी०/ डी.एम.पी. / तमिलनाडू पांडिचेजरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह/ आसाम एवं नागालैंड जी०डी०सी० ।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन' (म०स०का०) ।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी०पी०सी०.2021)।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायकके पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Smt Harshi	21/06/68	HPGDC	HPGDC
2.	Km. Geeta Bisht	19/09/81	NPG	G&RB
3.	Shri Prabhat Kumar (OBC)	22/11/82	SGO	SGO
4.	Shri Anupam Kumar Singh	01/03/86	TN & Py & ANI GDC	TN & Py & ANI GDC
5.	Shri D. Sridhar	22/08/72	NIGST	SPG
6.	Smt. Mitali Malakar (SC)	01/04/77	A&N GDC	A&N GDC
7.	Shri Alam Singh (SC)	27/06/69	HP GDC	HP GDC

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 23-02-2022 तक अवश्य सूचित करें ।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

Contd....2/-

6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22(1)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।
8. उपरोक्त पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने अथवा नहीं देने के सम्बन्ध में कार्रवाई इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह 11) दिनांक 13-08-2014 के अन्तर्गत मंत्रालय से वांछित निर्णय प्राप्त होने के अनुसार की जायेगी ।
9. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*
10. पदोन्नत सभी अर्थार्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।



(डा0 यू0एन0 मिश्र)  
उप महासर्वेक्षक  
कृते भारत के महासर्वेक्षक

**प्रतिलिपि:**

1. अपर महासर्वेक्षक, तकनीकी, म0स0का0 ।
2. उप महासर्वेक्षक: सतर्कता, म0स0का0/प्रशासन, म0स0का0/एच0आर0, म0स0का0/तकनीकी, म0स0का0/ उत्तरी क्षेत्र/ मुद्रण क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/एन0आई0जी0एस0टी0/ पूर्वी क्षेत्र ।
3. निदेशक, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा/दक्षिण मुद्रण वर्ग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
5. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर/हैदराबाद/कोलकाता ।
6. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
7. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
8. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
9. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
10. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

## UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

## COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

### वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13-08-2014 पर मंत्रालय से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22(1)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा । यदि इस पदोन्नति से पूर्व संबन्धित कर्मचारियों को एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया गया हो तो वेतन निर्धारण निर्धारित नियमों के अंतर्गत किया जाये ।
8. उपरोक्त पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने अथवा नहीं देने के सम्बन्ध में कार्रवाई इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13-08-2014 के अन्तर्गत मंत्रालय से वांछित निर्णय प्राप्त होने के अनुसार की जायेगी ।
9. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*
10. पदोन्नत सभी अर्थार्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।



(डा0 यू0एन0 मिश्र)

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

**प्रतिलिपि:**

1. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
2. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद ।
3. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
4. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
5. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
6. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

## UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of ***the SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.***

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

## COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

### वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13.08.2014 पर मंत्रालय से प्राप्त होने वाले निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद ***SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter*** के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित